

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

आज दिनांक:- 25.03.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।



- मिशन शक्ति के तहत 5.0 महोबा पुलिस का जनजागरण अभियान
- महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर हर गांव तक पहुंची पुलिस
- ग्राम चौपालों में संवाद कर समस्याओं का त्वरित निस्तारण, महिलाओं को किया गया जागरूक

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं नोडल मिशन शक्ति अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के नेतृत्व में जनपद के समस्त थानों द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित एवं विधिपूर्ण निस्तारण किया गया तथा उन्हें जागरूक किया गया।

अभियान के अंतर्गत सभी थानों की एंटीरोमियो टीमों द्वारा बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण अभियान के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम, उनके अधिकारों की रक्षा एवं आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।

कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी देकर इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र आयोजित कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों एवं हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को निडर होकर अपनी बात रखने एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।



Panwari, Uttar Pradesh, India
C/Ph+64x, Rath Rd, Panwari, Uttar Pradesh 210429,
India
Lat 25.435708° Long 79.4777°
Wednesday, 25/03/2026 12:13 PM GMT +05:30

थाना खन्ना पुलिस टीम ने

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह कां0 राहुल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त विजय पुत्र सुरजन लाल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित अ0सं0 152/17 धारा 458/380/511 भादवि0 में मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम पचपहरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह
2. कां0 राहुल कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

विजय पुत्र सुरजन लाल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा



थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 पवन गौड़ व उ0नि0 हार्दिक सिंह मय हमराह कां0 रामकुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मानवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मो0 जंटपुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 35/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मानवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मो0 जंटपुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पवन गौड़
2. उ0नि0 हार्दिक सिंह
3. कां0 रामकुमार तिवारी

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्ज से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।



महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति थाना पनवाड़ी मिशन शक्ति केंद्र की सार्थक पहल...।

जनपद महोबा में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत संचालित थाना पनवाड़ी स्थित मिशन शक्ति केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सार्थक करते हुए एक और सफल हस्तक्षेप किया है।

आज दिनांक 25.03.2026 को आवेदिका श्रीमती अनीता पत्नी सत्येंद्र मिश्रा निवासी ग्राम शेरगढ़ थाना पनवाड़ी जनपद महोबा द्वारा अपने पति सत्येंद्र मिश्रा पुत्र आसाराम मिश्रा के विरुद्ध शराब पीकर आए दिन गाली-गलौज एवं मारपीट कर प्रताड़ित करने के संबंध में मिशन शक्ति केंद्र, थाना पनवाड़ी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

मिशन शक्ति केंद्र में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों/आरक्षियों द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए उभय पक्षों को थाने पर बुलाया गया। तत्पश्चात संवाद एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई। धैर्यपूर्वक समझाने-बुझाने और परामर्श के उपरांत दोनों पक्षों की बात सुनकर उन्हें आपसी समझ और सौहार्द बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया।

काउंसलिंग के उपरांत दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे तथा आपसी प्रेम, सम्मान एवं समझदारी के साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करेंगे।

इस पहल के परिणामस्वरूप पति-पत्नी के मध्य आपसी सौहार्द एवं पारिवारिक सामंजस्य स्थापित हो गया है तथा विवाद समाप्त हो गया है।

यह कार्यवाही मिशन शक्ति केंद्र, थाना पनवाड़ी की संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं महिला पुलिस अधिकारियों की सक्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके माध्यम से एक परिवार को टूटने से बचाया गया तथा महिला को सुरक्षा एवं न्याय का भरोसा दिलाया गया।

जनपद महोबा पुलिस मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर तत्पर है।



थाना चरखारी पुलिस टीम ने जॉब दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 विशाल बाजपेई व उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह कां0 महेश प्रसाद, कां0 निशांत पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 05/26 धारा-319(2)/318(4)/351(3)/336(3)/340(2)/338 BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अंकुर तिवारी पुत्र रामशरण तिवारी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मो0 रुपनगर कस्बा चरखारी जनपद महोबा को गोवर्धन जू मेला ग्राउण्ड के पास कस्बा व थाना चरखारी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 विशाल बाजपेई
2. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
3. कां0 महेश प्रसाद, 4. कां0 निशांत पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त -

अंकुर तिवारी पुत्र रामशरण तिवारी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मो0 रुपनगर कस्बा चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद मुहरे, 01 अदद स्टैम्प पैड, 01 अदद पाइलट हरा जैल पैन व 02 वर्क हस्तलिखित पत्र HIGH COURT OF ALLAHABAD के मुहर लगी हुई व दो वर्क टाइपशुदा पत्र/आदेश जिसमे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लखनऊ की मुहर लगी हुई व 01 अदद एन्ड्राइड मोबाइल VIVO कम्पनी बरामद।



महोबा पुलिस

